उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

दर्शन सिंह

(2013 की आपराधिक अपील संख्या 1856)

/

नवंबर 07,2019

[संजय किशन कौल और के**.** एम**.** जोसेफ**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.147, 148, 149 और 302-हत्या-उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को बरी करना-अभियोजन का मामला यह था कि पीडब्लू-1, उसके पिता, माँ और मामा-पीडब्लू-4 एक ट्रैक्टर पर जा रहे थे और पीडब्लू-2 एक साइकिल पर उनका पीछा कर रहा था-पीडब्लू-1 के पिता ट्रैक्टर चला रहे थे, जब उन्होंने पाया कि एक बैलगाड़ी ने उनका रास्ता रोक दिया था-ट्रैक्टर बैलगाड़ी के पास रुक गया-आरोपी व्यक्ति, जो छिपे हुए थे, पिस्तौल और अन्य धारदार हथियारों से लैस थे, ने पीडब्लू-1 के पिता पर हमला किया-जिसके परिणामस्वरूप, पीडब्लू-1 के पिता की मृत्यु हो गई-यू/एस. एस. दर्ज की गई।147, 148, 149 और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 303-विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को यू/एस. के तहत दोषी ठहराया।302 आर/डब्ल्यू।धारा 148 और भारतीय दंड संहिता सी. 149-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को बरी कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया:पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य में भौतिक भिन्नताएं थीं-पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य में विरोधाभास थे कि पुलिस न्यायालय में रिपोर्ट किसने लिखी-पीडब्लू-1 ने कहा कि वह, उसकी मां, मामा और एक 'आईएस' पुलिस न्यायालय गए और रिपोर्ट 'आईएस' ने लिखी थी-पीडब्लू-1 द्वारा पीडब्लू-2 का कोई उल्लेख नहीं था, हालांकि, पीडब्लू-2 ने कहा कि वह भी पुलिस न्यायालय गया था और अपनी निर्णय में कहा कि रिपोर्ट पीडब्लू-1 द्वारा लिखी गई थी-पीडब्लू-4, गवाहों में से एक, शत्रुतापूर्ण हो गया-पीडब्लू-1, उसकी मां, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-2 घटना के बाद पीड़ित के साथ अस्पताल नहीं गए 4 मृतक के पीछे अस्पष्ट रहा-इसके अलावा, दोनों अभियुक्तों की कोई भूमिका नहीं बताई गई थी

/

/

/

/

/

/

338 ए.

339

उत्तरखंड राज्य बनाम दर्शन सिंह ए

हालाँकि, जब साक्ष्य खोले गए तो पीडब्लू-1 ने विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया था-पीडब्लू-2 ने यह भी कहा था कि उसने और अन्य रिश्तेदारों ने ट्रैक्टर को मौके पर ही छोड़ दिया था और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं ले गए थे क्योंकि शव उस पर था-दूसरी ओर, पीडब्लू-5-जांच अधिकारी के अनुसार, शव का स्थान धान का खेत था-साक्ष्य में स्पष्ट भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए मामला बनाने में सक्षम नहीं था-परिणामस्वरूप, अपील खारिज कर दी गई।

/

साक्ष्य के विधि और नेत्र साक्ष्य-पर चर्चा की गई।

/

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** यह घटना कथित तौर पर तब सामने आई जब मृतक पीडब्लू**1,** उसकी पत्नी और बहनोई **(**पीडब्लू**4)** के साथ एक ट्रैक्टर में वापस आ रहे थे।अभियोजन पक्ष का मामला आगे यह है कि आरोपी आगे आए और उन कृत्यों को अंजाम दिया जो उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था।आरोप है कि मृतक के साथ कुछ रिश्तेदार ट्रैक्टर के मडगार्ड पर बैठे थे।अभियोजन पक्ष के लिए एक मामला है कि मृतक ट्रैक्टर से गिर गया जब पीडब्लू**1** से पूछा गया कि वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन कैसे गया और क्या उसने ट्रैक्टर लिया था**,** तो उसका जवाब था कि चूंकि उसके पिता का शव उस पर पड़ा था**,** इसलिए उन्होंने ट्रैक्टर नहीं लिया और वे पैदल चले गए।इसलिए**,** यह माना जाना चाहिए कि शव ट्रैक्टर पर था।दूसरी ओर**,** पी**.** डब्ल्यू**. 5-**जांच अधिकारी ने बयान दिया कि मृतक का शव सड़क के किनारे धान के खेत में पड़ा था।पीडब्लू**5-**मूल जांच अधिकारी ट्रैक्टर के बारे में एक शब्द भी

नहीं बोलता है।पीडब्लू**1** के अनुसार**,** ट्रैक्टर को पीछे छोड़ दिया गया था क्योंकि उस पर शव पड़ा हुआ था।जैसा कि उल्लेख किया गया है**,** पीडब्लू**5** अन्यथा बोलता है और शव सड़क के किनारे धान के खेत में पाया गया था।इसलिए क्या वास्तव में अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए दावे के अनुसार ट्रैक्टर का उपयोग किया गया था**?**ट्रैक्टर के संबंध में अधिकारी द्वारा की गई किसी भी जांच के संबंध में कोई सबूत नहीं है।ट्रैक्टर की प्रकृति और आकार एक रहस्य बना हुआ है।**[**पैरा **42] [363-**डी**-**एच**]**

/

/

/

/

2. पीडब्लू **1** और **2** के साक्ष्य में विरोधाभास हैं कि रिपोर्ट किसने लिखी थी।क्या पीडब्लू**1** ने खुद रिपोर्ट लिखी थी

/

पी**.** डब्ल्यू**. 2** ने अपनी जिरह में दावा किया था या यह 'आई**.** एस**.**' द्वारा लिखा गया था**,** पी**.** डब्ल्यू**. 1** के अनुसार रिपोर्ट किसने लिखी थी**?**पीडब्लू **1** और **2** द्वारा दिए गए विरोधाभासी उत्तर हैं।**[**पैरा **43] [364-**ए**]3.** यदि घटना हुई होती**,** जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अनुमान लगाया गया था**,** और पीडब्लू**1,** उसकी माँ और पीडब्लू**4,** पीडब्लू**2** और अन्य साइकिल चालकों के अलावा मृतक के साथ थे**,** तो क्या वे तुरंत शव को निकटतम अस्पताल नहीं ले जाते**?**वास्तव में**,** पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि शव अगले दिन दोपहर में ही अस्पताल पहुंचा।ये पहलू हमारे मन में संदेह पैदा करते हैं और उच्च न्यायालय के निर्णय को और मजबूत करते हैं।**[**पैरा **45] [364-**ई**-**एफ**]**

/

/

4. मौखिक गवाही से ही अभियोजन पक्ष के संस्करण के बारे में संदेह पैदा होता है।जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है**,** पीडब्लू**1** पहले से ही स्पष्ट है जब वह कहता है कि सभी आरोपी सामने आए और तीनों ने गोलियां चलाई थीं।गोलीबारी**,** पी**.** डब्ल्यू**. 1** विशिष्ट थी**,** सामने से की गई थी।उनका दावा है कि अन्य लोग ट्रैक्टर पर चढ़ गए।इसका मतलब यह हो सकता है कि जिन लोगों ने गोलीबारी नहीं की थी और जो उनके बयान के अनुसार अन्यथा सशस्त्र थे**,** वे ट्रैक्टर पर चढ़ गए।अपने पहले के संस्करण में**,** मुख्य परीक्षा में**,** वह**,** दूसरी ओर**,** कहता है

कि जब उसके पिता गिर गए, तो पिस्तौल और अन्य धारदार हथियारों से लैस आरोपी ने उसके पिता पर हमला किया।यह अपने आप में एक विरोधाभास को प्रकट करता है।[पैरा **47] [364-**एच**; 365-**ए-बी**]**

/

/

5. वास्तविक विरोधाभास पीडब्लू**2** की गवाही के रूप में आता है।पीडब्लू**2** का कहना है कि एक आरोपी 'आर' ने ट्रैक्टर में चढ़ने के बाद पीछे से गोली चलाई, जो मृतक के पीछे लगी थी, जबकि पीडब्लू**1** ने बयान दिया है कि सभी आरोपी सामने खड़े थे और तीनों ने गोली चलाई थी।यह एक विसंगति है जो मामले की जड़ तक जाती है।यदि पीडब्लू**1** के उअंतर्गत ोक्त संस्करण अंतर्गत विश्वास किया जाए, तो यह पीडब्लू**2** का निक्षेपण है जो बादल के नीचे आता है।इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चोट नहीं।**4,** अर्थात्।**,** पीठ पर गोली की चोट अस्पष्ट बनी हुई है।इसके लिए, इस न्यायालय को चिकित्सा साक्ष्य की सामग्री में जाने की आवश्यकता नहीं है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि चिकित्सा साक्ष्य भी चोट नं**.4** मृतक द्वारा उसकी पीठ की ओर बनाए रखा जा रहा है।[पैरा **49] [365-**ई-एफ**]** ए

/

/

/

341

उत्तरखंड राज्य बनाम दर्शन सिंह ए

6. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एफ**.** आई**.** आर**.** में कहा गया है कि 'आर' ने गोली चलाई थी जो मृतक की पीठ पर लगी थी।एफ**.** आई**.** आर**.** में दो अभियुक्त व्यक्तियों की कोई भूमिका नहीं बताई गई है, जबकि जब साक्ष्य खोला गया, तो पी**.** डब्ल्यू**. 1** ने विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्यों के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया है।जबकि एक एफ़**.** आई**.** आर**.** जो कुछ भी हुआ उसका विश्वकोश नहीं होना चाहिए, विशिष्ट दो अभियुक्तों के सामने वास्तविक खुले कृत्यों के बारे में उल्लेख करने की चूक, संस्करण के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है।इसके अलावा, पीडब्लू**2** ने यह भी कहा कि उन्होंने ट्रैक्टर को मौके पर ही छोड़ दिया था और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं ले गए थे क्योंकि उस पर शव था।दूसरी ओर, पीडब्लू**5** के अनुसार, शव का स्थान धान भरा हुआ है।ट्रैक्टर को पीडब्लू**5** द्वारा संदर्भित नहीं किया जाता है।[पारस **50** और **51] [366-**सी-ई**]**

/

/

7. जहाँ तक गोली लगने और हमला होने पर मृतक के गिरने के संबंध में**,** पीडब्लू**5** का कहना है कि पीडब्लू**1** ने उसे कुछ नहीं बताया **(**जाहिरा तौर पर**,** मृतक के गिरने के तथ्य के बारे में **161** के बयान में**)**।**[**पैरा **52] [366-**एफ**]**

/

8. साक्ष्य की स्थिति में**,** इस मामले में अन्यथा**,** विशेष रूप से सीमित अधिकारिता की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश का प्रयोग करता है**,** अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का मामला नहीं बनाया है।**[**पैरा **57] [367-**जी**]**

/

राज्य सरकार, मध्य प्रदेश बनाम राम कृष्ण गणपतराव लिम्से और अन्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 20; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम गुरु चरण और अन्य (2010) 3

एससीसी **721:[2010] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1110-**पर निर्भर।

/

गोसू जयरामी रेड्डी और एक अन्य बनाम आंध्र राज्य

प्रदेश (2011) 11 एससीसी 766:[2011] 9 एससीआर 503;

आम बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए**.** आई**.** आर **1995** एस**.** सी**. 959;** अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य **(2010) 10**

एससीसी 259:[2010] 13 एस. सी. आर. 311; तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ और दूसरा (2018) 10 एस. सी. सी. 498:[2018] 12 एस. सी. आर. 204-संदर्भित।

/

संदर्भित निर्णय

[2011] 9 एससीआर **503**

संदर्भित

पैरा **8**

आकाशवाणी **1995** एससी **959**

संदर्भित

पैरा **8**

/

342 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 14 एस. सी. आर.

[2010] 13 एससीआर **311**

संदर्भित

पैरा **8**

ए**.** आई**.** आर **1954** एस**.** सी **20**

पर विश्वास किया

पैरा **22**

[2010] 2 एससीआर **1110**

पर विश्वास किया

पैरा **23 [2018] 12** एस**.** सी**.** आर**. 204** पैरा **38** में निर्दिष्ट है।

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2013 की आपराधिक अपील सं. 1856।

2002 की आपराधिक अपील संख्या 175 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 02.01.2012 के निर्णय और आदेश से।

सह

/

2013 की आपराधिक अपील सं. 1857।

कृष्णम मिश्रा, कमलेंद्र मिश्रा, राहुल कौशिक, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुश्री एन. अन्नपूरानी, प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

के**.** एम**.** जोसेफ**,** न्या **.**

1. चूँकि इन अपीलों में भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद संक्षेप में 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) की धारा 147,148,149 और 302 के अंतर्गत अपराधों के प्रतिवादियों को

बरी करने वाला उच्च न्यायालय का वही आक्षेपित निर्णय शामिल है, इसलिए हम एक सामान्य निर्णय द्वारा इसका निपटारा करना उचित समझते हैं।

/

ब्रीफ में भविष्यवाणी का मामला

2. इस मामले में शिकायत, जिसके कारण मुकदमा चलाया गया, स्वर्ण सिंह-पीडब्लू1 द्वारा दर्ज की गई थी।संक्षेप में शिकायत इस प्रकार हैः

/

22.08.1992 पर, जब वह अपने पिता, माँ और मामा के साथ नानकमट्टा से अपने गाँव जा रहे थे और उनके पिता ट्रैक्टर चला रहे थे, जब ट्रैक्टर उनके घर से एक किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा, तो उन्होंने पाया कि एक बैलगाड़ी ने उनका रास्ता रोक दिया है।ट्रैक्टर बैलगाड़ी के पास रुका।अभियुक्तों में से एक पहलवान सिंह पेश हुआ।उसके साथ अन्य आरोपी एक पेड़ के पास छिपे हुए थे।उसके हाथ में तलवार थी।रेशम सिंह, जो 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1857 में तीसरे प्रतिवादी हैं, के हाथों में एक देसी पिस्तौल थी।दलीप सिंह के पास एक बल्ला (एक तेज धार वाला हथियार) था, ए

/

/

उनके बेटे जागीर सिंह के पास देसी पिस्तौल थी।दर्शन सिंह के पास देसी पिस्तौल भी थी।वीर सिंह के पास एक तेज धार वाला हथियार (कैम पा) था।उन्होंने शिकायतकर्ता के परिवार को गाली देना शुरू कर दिया।रेशम सिंह ने अपनी देसी पिस्तौल से गोली चलाई।पहलवान सिंह और दर्शन सिंह ने अपनी देसी पिस्तौल से गोली चलाई, और वीर सिंह ने अपने कैंपा से शिकायतकर्ता के पिता-सिंघारा सिंह पर वार किए।वह ट्रैक्टर से गिर गया और उसकी मौत हो गई।शोर मचाने पर सभी आरोपी बैलगाड़ी पर सवार होकर भाग गए।शिकायतकर्ता, उसके पिता और मामा ने हमलावरों से लड़ने की हिम्मत नहीं की।

/

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 147,148,149 और 302 के अंतर्गत दर्ज की गई। विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 147,148,302 और 149 के अंतर्गत आरोप तय किए। शस्त्र अधिनियम, 1959 (इसके बाद संक्षेप में 'शस्त्र अधिनियम' के विरचित में संदर्भित) की धारा

25 के अंतर्गत अलग-अलग आरोप भी बनाए गए थे।अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू 1 से 6 तक की जांच की गई।अभियुक्तों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अंतर्गत लिए गए थे (इसके बाद संक्षेप में 'Cr.PC' के रूप में संदर्भित)।

/

/

4. विचारण न्यायालय ने पहलवान सिंह, रेशम सिंह, दलीप सिंह, वीर सिंह और दर्शन सिंह को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 148 और 149 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषी ठहराया। रेशम सिंह और दर्शन सिंह को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत आरोप से बरी कर दिया गया था। 5.उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश से आरोपी को बरी कर दिया है। निर्णय से पता चलता है कि अभियुक्त को बरी करने के अपने निर्णय में उच्च न्यायालय के साथ निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया गयाः

/

आई. पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य में भौतिक भिन्नताएँ थीं।

/

ii.पीडब्लू2 गैर-पक्षपातपूर्ण गवाह नहीं था।वह सूचना देने वाले से दूर से संबंधित है।

iii.पीडब्लू4 कोई और नहीं बल्कि मामा हैं जिनका शिकायतकर्ता द्वारा ट्रैक्टर पर उनके साथ यात्रा करने के रूप में उल्लेख किया गया है।वह शत्रुतापूर्ण हो गया है और अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं किया है।

/

iv.अभियोजन पक्ष के इस मामले पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि गोली चलाने और मृतक को घायल करने के बाद आरोपी बैलगाड़ी में भाग गए।

/

v. पीडब्लू1 ने पदच्युत किया कि ट्रैक्टर की बत्तियाँ जल रही थीं।दूसरी ओर, पीडब्लू2 ने बयान दिया कि ट्रैक्टर का बल्ब बंद था।

(vi) चोट नं.4 मृतक की पीठ के बाईं ओर गोली का घाव था।

/

vii.अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अनुसार, आरोपी ने ट्रैक्टर का रास्ता रोक दिया और आरोपी ने ट्रैक्टर के सामने खड़े होकर गोली चला दी।इस संबंध में नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य के बीच भौतिक विसंगति थी।

viii .उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि पीडब्लू3-डॉक्टर, अपने साक्ष्य में, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है।ix. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अनुसार, उच्च न्यायालय ने देखा कि मृतक ट्रैक्टर चला रहा था और उसके करीबी रिश्तेदार, अर्थात्।, उसकी पत्नी, शिकायतकर्ता, जिसकी जांच पीडब्लू1 के रूप में की गई है, और मामा आरोपी के साथ यात्रा कर रहे थे।हालांकि, ट्रैक्टर और मडगार्ड पर बैठे किसी भी रिश्तेदार को कोई चोट नहीं आई है।इसने उच्च न्यायालय को अभियुक्त को बरी करने के लिए भी राजी किया।

/

/

6. हमने दोनों अपीलों में राज्य/अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और अभियुक्त/प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है।

/

7. राज्य के विद्वान वकील ने बताया है कि प्रतिवादी नं। 2, 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1857 में निधन हो गया है और हमने अपने दिनांकित 28.08.2019 के आदेश में भी इस बात पर ध्यान दिया है कि उसके खिलाफ अपील समाप्त हो गई है।

/

8. राज्य के लिए विद्वान वकील निम्नलिखित रूप में तर्क देंगे:(i) पीडब्लू1 के नेत्र साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य में कोई वास्तविक विसंगति नहीं थी।उन्होंने कहा है कि आरोपी रेशम सिंह ने गोली चलाई है जो मृतक की पीठ पर लगी है।

/

((ii) केवल पीडब्लू1 के बयान में मामूली विरोधाभासों और चोटों को दर्शाने वाले चिकित्सा साक्ष्य के कारण, उच्च न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, चोटों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ए की वसूली।

/

हथियार और एफ. एस. एल. रिपोर्ट में निष्कर्ष, जो अभियोजन पक्ष के मामले की पूरी तरह से पुष्टि करता है।

(iii) घटना के समय मृतक के पी. डब्ल्यू. 1-पुत्र की आयु केवल 17 वर्ष थी।न्यायालय इस बात को ध्यान में रख सकती है कि यह एक ऐसा मामला है जहां अभियुक्तों ने उन पर घात लगाकर हमला किया और घातक हथियार लेकर धमकियां दीं।ऐसी परिस्थितियों में घटना के सावधानीपूर्वक वर्णन पर जोर नहीं दिया जा सकता है।उन्होंने गोसु जयरामी रेड्डी और एक अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1 और आम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

/

/

((iv) घटना स्थल पर।, जाँच अधिकारी द्वारा 12 बोर की पिस्तौल का एक खाली कारतुस बरामद किया गया।अभियुक्त के बयान के आधार पर 12 बोर की पिस्तौल सहित अभियुक्त से बरामदगी की गई।एफएसएल रिपोर्ट में कहा गया है कि गोली 12 बोर की पिस्तौल से चलाई गई है जिसे बरामद किया गया था।उच्च न्यायालय ने वसूली को दूषित नहीं पाया है।इसका मतलब है कि वसूली पर कार्रवाई की जा सकती है।

/

(v) पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य के बीच असंगति के लिए कोई सामग्री नहीं है।एकमात्र भिन्नता यह है कि पीडब्लू2 ने अपदस्थ किया है कि रेशम सिंह ट्रैक्टर पर चढ़ गया है और गोली चला दी है जिससे नं.4 मृतक के शरीर के पीछे।इस संबंध में, उन्होंने अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 3 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि यदि नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विसंगति है, तो नेत्र साक्ष्य तब तक प्रबल होना चाहिए जब तक कि चिकित्सा या वैज्ञानिक साक्ष्य पूरी तरह से नेत्र साक्ष्य पर असंभव कार्रवाई नहीं करते हैं।

/

/

(vi) पी. डब्ल्यू. 1 के बयान कि बैलगाड़ी के पास से 5 से 7 सीढ़ियों से गोलियां चलाई गईं, को भी समझाया गया, जैसा कि विचारण न्यायालय ने पाया, यह मानते हुए कि पी. डब्ल्यू. 1 बैलगाड़ी के स्थान और गोली चलाने के स्थान के बीच की दूरी का वर्णन कर रहा था।

/

1 (2011) 11 एससीसी 766 2 एआईआर 1995 एससी 959 3 (2010) 10 एससीसी 259

/

/

[2019] 14 एस सी आर।

(vii) 22.08.1992 पर ही तीन घंटे के भीतर एफ़. आई. आर. दर्ज की गई।यह घटना 05.30 अपराह्न में हुई।जिस शीघ्रता के साथ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसे उचित महत्व नहीं दिया गया था।

(viii) अंत में, उच्च न्यायालय के इस तर्क पर कि किसी भी रिश्तेदार को चोट नहीं लगी है, इस आधार पर हमला किया जाता है कि जब आरोपी के सशस्त्र हथियारों के साथ बाहर आने की घटना सामने आई, तो यह उम्मीद करना अस्वाभाविक होगा कि उसके रिश्तेदार अपनी स्थिति से चिपके रहे होंगे।यह तथ्य कि रिश्तेदार सुरक्षित थे, उनके सामान्य व्यवहार के अनुरूप है जब घातक हथियारों, धमकियों और गोलीबारी से लैस हमलावरों का सामना करना पड़ता है।

/

/

9. इसके विपरीत, अभियुक्त के विद्वान वकील ने कहा कि यह घटना वर्ष 1992 की है।वह उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन करती हैं।अभियुक्त/उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे किः ए। ट्रैक्टर पर चार लोग सवार थे और केवल मृतक घायल दिखाई दे रहा है।

/

बी। कोई उद्देश्य स्थापित नहीं है।

ग. नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य के साथ कोई संबंध नहीं था।घ. वह न्यायालय को याद दिलाती है कि अभियुक्तों को शस्त्र अधिनियम, 1959 के अंतर्गत बरी कर दिया गया है।

/

10. इससे पहले कि हम साक्ष्य पर चर्चा करें, हम सोचते हैं कि मृतक को वास्तव में लगी चोटों का उल्लेख करना उचित है।पीडब्लू3 डॉक्टर है।पीडब्लू3 द्वारा निम्नलिखित चोटों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ उनके साक्ष्य के अलावा पूर्व-शव परीक्षण चोटों के रूप में उल्लेख किया गया हैः

/

“बाह्य परीक्षाः-

एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, मृत शरीर पर आर. एम. धब्बा मौजूद था और उसके शरीर पर अकड़न थी, पेट सूजा हुआ था और बाईं आंख नहीं थी।मृतक के शरीर पर।शरीर की जाँच के दौरान मृत्यु से पहले निम्नलिखित चोटें पाई गईंः-

/

(1) मृत और मृत हड्डी के ऊपरी भाग में 15 सेमी x 2 सेमी कटा हुआ घाव टूट गया था।

(2) चेहरे के बाईं ओर 16 सेंटीमीटर x 2 सेंटीमीटर के घाव को काटें जो कान के पीछे से चेहरे तक फैला हुआ था।इसके कारण कान का लार्बन और जबड़े की हड्डी टूट गई थी।

/

347

उत्तरखंड राज्य बनाम दर्शन सिंह [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

/

(3) चेहरे के दाहिने तरफ 3 सेमी x 2 सेमी घाव काटें, जिसमें दाहिने जबड़े की हड्डी टूट गई थी।

(4) कंधे की हड्डी से निचले हिस्से की ओर पीठ के बाईं ओर 3 सेमी x 2.5 सेमी बंदूक की गोली के घाव का प्रवेश।प्रोन डालने पर वह ऊपर की ओर और सामने की ओर आ रहा था।हड्डी काटने पर प्लेट का एक टिकल पाया गया जिसमें काला टोटेम मौजूद था।वहाँ कोई आग नहीं लगी थी।

/

(5) सीने के दाहिने हिस्से में प्रवेश करने का गोली का घाव जिससे हड्डी और पसलियों का रंग टूट गया था।उच्चारण करने पर यह पीछे और नीचे की ओर जा रहा था।

/

(6) निप्पल के बगल में छाती के दाहिने तरफ के घाव को 3 सेमी x 1⁄2 सेमी काटें।

बाह्य परीक्षा

(1) खोपड़ी की हड्डी टूट गई थी और मस्तिष्क की झिल्ली फट गई थी।छाती में तीसरी और चौथी पसली और पाँचवीं।बाएँ और पहले की ओर।दाहिनी ओर का दूसरा भाग टूट गया था।दोनों फेफड़े फट गए थे, दिल भी फट गया था।16/15 मुँह में दाँत थे।पेट में खाना नहीं था।

/

मेरी राय में मृतक की मृत्यु पूर्व-मृत्यु चोटों और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण सदमे के कारण हुई थी।परीक्षा के समय, परीक्षा रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई थी, जो मेरी लिखावट और हस्ताक्षर में है।यह फाइल पर मेरे सामने था।इस पूर्व पर। का 3 डाल दिया गया था।

/

शरीर की जांच के दौरान 2 टिकले कार्ड बोर्ड और 34 फट्टे हटाए गए थे जिन्हें सील कर दिया गया था और संबंधित कांस्टेबल को सौंप दिया गया था और मृतक शर्ट, तहमाद, अंडरवियर, कड़ा, कृपाल के कपड़े सौंप दिए गए थे।कुल 5 टुकड़े और पुलिस दस्तावेज और शव पुलिस के लोगों को सौंप दिए गए।

/

उपरोक्त चोटें 5 बजे 22.8.92 पर तलवार, पिस्तौल, भाला और धारदार हथियार से हो सकती हैं।30 शाम को पीएम।मृत्यु के बाद के संभावित लक्षण का विवरण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के कॉलम में ऊपर दिया गया है, मृत्यु की अवधि में 12 घंटे का अंतर, फिर कहा गया, छह घंटे का अंतर हो सकता है, यानी मृत्यु 22.8.92 की रात में भी हो सकती है।मृतक की कमीज कटी थी या नहीं, उसे याद नहीं।यह चोट

/

/

348

/

[2019] 14 एस सी आर।

नंबर 5 ऐसी स्थिति में हो सकता है जब व्यक्ति को ऊंचाई में खड़े होकर हमला किया जाता है। चोट संख्या 4 नीचे से ऊपर की ओर होती है, अर्थात प्रहार करने वाला व्यक्ति घायल पर नीचे की ओर से गोली चलाता है, फिर दोनों चोटों के ऊपर 3 फीट की दूरी से गोली चलाने से हो सकती है।उपरोक्त चोटें कुल दो आग की हैं।मृतक ने 8 घंटे से पहले भोजन ले लिया होगा, क्योंकि उसके पेट में कोई सामग्री नहीं पाई गई थी।खाना खाने के 8 घंटे बाद खाना पच जाता है। "

/

11. यह पाया गया कि खोपड़ी की हड्डी टूट गई थी, मस्तिष्क की झिल्ली फट गई थी।छाती में, तीसरी और चौथी पसली और पाँचवीं।बायीं ओर और दाहिनी ओर का दूसरा भाग टूट गया था। दोनों के फेफड़े फट गए थे।दिल भी टूट गया था।16/15 मुँह में दाँत थे।पेट में खाना नहीं था। वह आगे कहते हैं कि उनकी राय में, मृत्यु पूर्व चोटों और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण सदमे के कारण हुई थी।

/

12. चोटों के विवरण के अवलोकन से पता चलता है कि 4-5 चोटें बंदूक की गोली की चोटें थीं।अन्य चार चोटें कटे हुए घाव थे।

/

13. यह प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला है।

14. मृतक के 17 वर्षीय बेटे पीडब्लू1 ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार अपदस्थ किया है:

/

वह अपने पिता (मृत), माँ और मामा के साथ एक ट्रैक्टर में यात्रा कर रहे थे और अपने मृत पिता इसे चला रहे थे।सड़क पर एक बैलगाड़ी थी जो बीच में खड़ी थी।इससे वे ट्रैक्टर को रोक देते हैं।रेशम सिंह, दर्शन सिंह, जागीर सिंह अपने हाथों में पिस्तौल और अन्य घातक हथियारों के साथ सामने आए।पीडब्लू1 ने आगे कहा कि रेशम सिंह ने पिस्तौल से गोली चलाई जो उसके पिता की पीठ पर लगी और वह ट्रैक्टर से नीचे गिर गया।उस समय पीडब्लू2 और एक गुरदीप सिंह अपने ट्रैक्टर के पीछे साइकिल पर आ रहे थे।जब मृतक नीचे गिर गया, तो पहलवान सिंह ने तलवार से, दर्शन सिंह और जागीर सिंह ने पिस्तौल से, वीर सिंह और दिलीप सिंह ने अन्य घातक हथियारों से उसके पिता पर हमला कर दिया।खाली हाथ होने के कारण, क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं थे, वे उनके पिता को नहीं बचा सके।पीडब्लू1 का कहना है कि वह अभियुक्त को जानता था क्योंकि वे उनके पड़ोसी थे।मृतक के बीच दुश्मनी थी और सड़क का निर्माण नहीं होने और रास्ता न होने के कारण आरोपी ने ऐसा किया।

/

/

/

/

जिरह में, वह, अन्य बातों के साथ, इस प्रकार कहता है:उसने शिकायत में कहा है कि रेशम सिंह द्वारा गोली चलाने और उसके पिता के नीचे गिरने के बाद, अन्य अभियुक्तों ने गोली चलाई और उन पर हमला किया।उन्होंने दारोगाजी को भी यही बयान दिया।उनके पास इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि बयान एफ. आई. आर. में नहीं है। पीडब्लू2 की शादी उनके पिता की बहन से हुई है।वह अपने गाँव से लगभग ढाई किलोमीटर दूर रहता है।गुरदीप सिंह अपने गाँव से 10 से 12 किलोमीटर दूर रहता है।वह जीवित है।आधे से एक घंटे के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची।कि यह नौ से चौथाई था।पुलिस ने मौके पर पंचनामा भर दिया जो रात में भरा हुआ था।मशाल की रोशनी में पंचनामा भरा हुआ था।पंचनामा भरा गया था और पीडब्लू 1 और 2 पंचनामे के गवाह हैं।दो अभियुक्तों में से तीन को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया।वे दिलीप

सिंह, जागीर सिंह और दर्शन सिंह थे।वे साइकिल से पुलिस स्टेशन गए।ईश्वर सिंह, प्रीतम सिंह (पीडब्लू 4-मातृ मामा) और पीडब्लू 1 की माँ उनके साथ थीं।ईश्वर सिंह गाँव किसानपुर के निवासी हैं जो उनके गाँव से 7 किलोमीटर दूर है।रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वह नानकमट्टा पुलिस स्टेशन गए।वे नानकमट्टा से आ रहे थे।अपनी तरफ से ही वे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वापस चले गए।ईश्वर सिंह सड़क से सटे गांव सुनकारी में मामा के घर के रास्ते में खड़ा था।ईश्वर सिंह उसके साथ पुलिस स्टेशन गया।ईश्वर सिंह ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई।उसने और उसकी माँ और मामा ने ईश्वर सिंह को घटना के बारे में बताया था।अभियुक्तों का घर और उनका घर पास में ही स्थित हैं।यह सुझाव कि उन्होंने तीन अन्य व्यक्तियों को गाँव से भागने के लिए मजबूर किया था और उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण शत्रुता थी, को अस्वीकार कर दिया गया।मौके पर वीर्य के पेड़ के अलावा कोई अन्य पेड़ नहीं था।सड़क के दोनों ओर झाड़ियाँ हैं।सेमल का पेड़ सड़क के पूर्वी हिस्से में है।गाँव से नानकमट्टा पहुँचने में उन्हें एक घंटा लगा।पीडब्लू1 ट्रैक्टर में दाहिनी ओर बैठा था।पीडब्लू4 के मामा और पीडब्लू1 के पिता ट्रैक्टर के बाईं ओर बैठे थे।उस समय बारिश नहीं हुई थी।बैलगाड़ी खाली थी।उन्होंने ट्रैक्टर को 4-5 कदम की दूरी पर रोक दिया था।ट्रैक्टर की बत्ती जल रही थी।सभी आरोपी आए, सामने खड़े हो गए और तीनों ने गोली चला दी थी।सामने से गोलीबारी की गई।दूसरे लोग ऊपर चढ़ गए

/

/

/

/

/

/

/

350

/

[2019] 14 एस सी आर।

ट्रैक्टर की सीट पर ही तलवार, भाले से हमला किया गया था, पिता ट्रैक्टर की सीट पर ही गिर गए थे।आरोपी भाग गया।बैलगाड़ी के पास 5-7 सीढ़ियों की दूरी से गोलियां चलाई गईं।दारोगाजी ने मौके पर ट्रैक्टर पर खून देखा था।तलवार, भाला और तलवार से हमले एक से दो बार किए जाते थे।वे ट्रैक्टर को पुलिस स्टेशन नहीं ले गए थे क्योंकि उस पर शव पड़ा था।15. पीडब्लू2,

जिसे पीडब्लू1 द्वारा साइकिल पर उनका पीछा करने वाले व्यक्तियों में से एक के रूप में संदर्भित किया गया था, पीडब्लू1 की पुष्टि करता है कि मृतक ट्रैक्टर चला रहा था, और उसके साथ, पीडब्लू1, उसकी माँ और मामा बैठे थे।वह बैलगाड़ी के बारे में बयान देता है।ट्रैक्टर रुक गया। बाहर आए अभियुक्त द्वारा दी गई धमकी का उल्लेख किया गया है।मृतक के पीछे रेशम सिंह द्वारा की गई गोलीबारी, और दर्शन सिंह और जागीर सिंह द्वारा सामने से गोली चलाने और अन्य हमला करने वालों को अपदस्थ कर दिया जाता है।उनका दावा है कि वे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पीडब्लू1 के साथ गए थे।यह रिपोर्ट ईश्वर सिंह से लिखी गई थी।उसने पंचनामा भरने के समय अभियुक्तों के नाम बताए हैं।उन्होंने पहले कहा था कि घटना के दिन मौके पर भी पुलिस ने पंचनामा भरकर जांच की थी।उस समय पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछताछ नहीं की थी। वह इस बात से इनकार करता है कि पंचनामा भरने तक अभियुक्त का नाम और पता ज्ञात नहीं था, और इसी वजह से पंचनामे में अभियुक्त का नाम नहीं है।पीडब्लू1 और उसके माता-पिता घटना के दिन नानकमट्टा में उससे नहीं मिले थे।पीडब्लू4-मातृ मामा भी नहीं मिले थे।ट्रैक्टर की बत्ती नहीं जल रही थी।जब उन्होंने देखा तो सभी आरोपी बैलगाड़ी के पीछे खड़े थे।पास में एक पेड़ भी है।धमकी देने के बाद गोलीबारी शुरू हो गई।वे ट्रैक्टर के सामने खड़े थे।रेशम सिंह ने ट्रैक्टर में चढ़ने के बाद पीछे से गोली चलाई थी जो मृतक के पीछे लगी थी।तीन बार गोलीबारी की गई।दलीप सिंह ने भाले से हमला किया।जागीर सिंह ने बरछे से पेट में आगे से हमला किया। वीर सिंह ने सिर पर पीछे से तलवार से हमला किया।दोनों तरफ झाड़ियाँ नहीं थीं लेकिन वहाँ फसल थी।अभियुक्त ने तलवार, तलवार और भाले से एक बार मारा था।स्वर्ण सिंह-पीडब्लू1, उनकी मां और पीडब्लू4 रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पैदल गए थे।वह उनके साथ साइकिल पकड़कर पैदल भी गया था।चार लोग चले गए।रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में बैठकर लिखी गई थी। पीडब्लू1 ने रिपोर्ट लिखी थी।पीडब्लू1 शिक्षित है।पुलिस सुबह 08.00 A. M. तक मौके पर रही।उस दिन बारिश नहीं हुई थी।

/

/

/

/

/

/

/

/

16. पीडब्लू4 मामा हैं।उन्होंने मुख्य जाँच में कहा कि 05.30 शाम को, वह 22.08.1992 पर घर पर थे।उन्होंने कोई घटना नहीं देखी थी।अभियोजन पक्ष में, वह कहेंगे कि पीडब्लू1 सुबह रिपोर्ट दर्ज कराने गया था।सुबह उन्हें यह भी पता चला कि मृतक की मौत हो गई है।पीडब्लू1, वीरा कौर-पीडब्लू1 की माँ और गुरदीप सिंह, सभी को सुबह घटना के बारे में पता चला और वे खेत में शव के पास गए और उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराने गए।17. पीडब्लू5 पुलिस का उप-निरीक्षक है।जाँच के दौरान, वह बयान देता है कि उसने पीडब्लू1 का बयान लिया था।वह दर्शन सिंह द्वारा बरामदगी के बयान के बारे में गवाही देता है जिससे पिस्तौल की बरामदगी होती है। इसी तरह पहलवान सिंह के बयान पर तलवार बरामद की गई।शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत 1930 बजे दर्शन सिंह के खिलाफ 23.08.1992 पर मामला दर्ज किया गया था। आई. डी. 2 को रेशम सिंह, दलीप सिंह, जागीर सिंह और वीर सिंह को रात में आई. डी. 1 बजे गिरफ्तार किया गया।वह रेशम सिंह के बयान पर 12 बोर की पिस्तौल, दिलीप सिंह के बयान पर एक भाला और वीर सिंह के बयान पर एक तलवार की बरामदगी के बारे में बात करता है।बरामद माल को अलग से सील कर दिया गया।रेशम सिंह के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।उन्होंने स्थल का नक्शा तैयार किया जिसे केए-18 के रूप में तैयार किया गया था।उनका कहना है कि वह 22.08.1992 की रात को घटना स्थल पर पहुंचे थे और अंधेरा होने के कारण उसी दिन शरीर का पंचनामा नहीं किया जा सका था।जाँच पीडब्लू5 द्वारा 28.08.1992 तक की गई थी।इसके बाद इसे देवेंद्र सिंह को सौंप दिया गया।जिरह में वे इस प्रकार कहेंगे:

/

/

/

/

किसी भी पिस्तौल पर कोई क्रम संख्या नहीं होती है।बिना खोले पिस्तौल को बंद नहीं किया जा सकता है।जंग लगी एक और खुली हुई पिस्तौल है।बैरेल नहीं खोला जा रहा है।इस समय दोनों पिस्तौल काम करने की स्थिति में नहीं हैं।उसे याद नहीं है कि बरामदगी के कितने दिनों के बाद, पिस्तौल और खाली कारतुस विश्लेषक को भेजे गए थे।यह विशेष दूत द्वारा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट खतीना के माध्यम से 25.11.1992 पर भेजा गया था जो 28.11.1992 पर प्राप्त हुआ था। वह न तो बैलास्टिक विशेषज्ञ हैं और न ही उन्होंने इस संबंध में कोई विशेष प्रशिक्षण लिया है।

/

/

का 6 में, "मृत्यु" कॉलम में, मृत्यु के समय का उल्लेख नहीं किया गया है।"पुलिस मुख्यालय" से शव भेजने का समय दर्ज नहीं किया गया है।

/

352

/

[2019] 14 एस सी आर।

18. उन्होंने अगले दिन सुबह पंचनामा भर दिया था।जब वह वहां पहुंचे तो मौके पर रोशनी की कमी के कारण उस रात पंचनामा नहीं भरा जा सका।शव सड़क के किनारे धान के खेत में पड़ा हुआ था।सड़क के पूर्वी हिस्से में सीमल का पेड़ है।न तो बैल और बैलगाड़ी मिली और न ही उसे कब्जे में लिया गया।

/

19. पीडब्लू6 देवेंद्र सिंह हैं जिन्होंने मजिस्ट्रेट के दिनांक 11.09.1992 के आदेशों के अनुसार जांच की।उन्होंने साइट मैप-का 19 तैयार किया। पीडब्लू6 ने जाँच जारी रखी, और जिरह में, वह अन्य बातों के साथ इस प्रकार कहता हैः

"श्री कमल राम आर्य, एस. आई. और एस. ओ. नानकमट्टा का बयान 7.10.92 पर लिया गया था।मैंने गवाह प्रताप सिंह के बयान 7.10.92 पर लिए थे।गवाह वीरा कौर, प्रताप सिंह, प्रीतम सिंह, हरनाम सिंह और मुंशा सिंह ने मुझे ट्रैक्टर का नंबर नहीं बताया था।वीरा कौर ने मुझे अपदस्थ कर दिया था कि रेशम सिंह ने ट्रैक्टर पर बैठे मेरे पति पर गोली चलाई थी और पहलवान सिंह ने तलवार से हमला किया था, जिसके कारण उनके पति ट्रैक्टर से नीचे गिर गए थे।उसी तरह प्रताप सिंह ने भी बयान दिया था। "

/

/

20. यह सच हो सकता है कि धारा 161 Cr.PC में कथन के संबंध में साक्ष्य केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 और Cr.PC की धारा 162 में अनुध्यात के अनुसार ही अनुज्ञेय है।प्रासंगिक बात यह है कि पीडब्लू1 की मां, जो मृतक की पत्नी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कथित रूप से ट्रैक्टर में यात्रा कर रही थी, सबसे महत्वपूर्ण गवाह थी और उससे पूछताछ नहीं की गई थी।

/

21. यह एक ऐसा मामला है जिसमें निचली अदालत ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों द्वारा दायर अपील में उन्हें बरी कर दिया।यह अपील विशेष अनुमति द्वारा उत्पन्न की जाती है।इस मामले में इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा क्या है?हम इस संबंध में इस न्यायालय के केवल दो निर्णयों का उल्लेख करेंगे।

/

22. राज्य सरकार, मध्य प्रदेश बनाम राम कृष्ण गणपतराव लिम्से और अन्य 4 में, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया:“5. ... आपराधिक मामलों में इस असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तब तक उचित नहीं है जब तक कि असाधारण या विशेष परिस्थितियां मौजूद नहीं दिखाई देती हैं या यह कि पर्याप्त और गंभीर अन्याय किया गया है।

/

4 आकाशवाणी 1954 एससी 20 ए

/

353

उत्तरखंड राज्य बनाम दर्शन सिंह [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

किया।बरी किए जाने के आदेश के मामले में जहां किसी अभियुक्त व्यक्ति के निर्दोष होने का अनुमान उच्च न्यायालय के बरी किए जाने के आदेश द्वारा प्रबलित किया जाता है, इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल तथ्य या विधि की त्रुटियों को सुधारने के लिए उचित नहीं होगा। हालांकि, एक बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप का अवसर उत्पन्न हो सकता है, जहां एक उच्च न्यायालय प्रतिकूल या अन्यथा अनुचित तरीके से कार्य करता है या धोखाधड़ी से धोखा दिया गया है। "

/

23. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम गुरु चरण और अन्य 5 में, हमने पैराग्राफ 41 से 43 में निम्नलिखित चर्चा देखी:

“41. बन्नी मामले में [(2009) 4 एस. सी. सी. 271:(2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 260], तय की गई कानूनी स्थिति, जिसे कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया है, पर पुनर्विचार किया गया है और दोहराया गया है।उभरते सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया है:(एस. सी. सी पी.286, पैरा 27-28)

/

“27. उपरोक्त मामलों से निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:

/

1. अपीलीय न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 और 386 के अंतर्गत बरी किए जाने के खिलाफ अपील में साक्ष्य की समीक्षा कर सकता है।साक्ष्य की समीक्षा करने की इसकी शक्ति व्यापक है और अपीलीय न्यायालय अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की फिर से

सराहना कर सकता है।यह तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में निचली अदालत के निष्कर्ष की समीक्षा कर सकता है।

/

2. दोषी साबित होने तक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है।अभियुक्त के पास यह धारणा तब थी जब वह निचली विचारण न्यायालय के समक्ष था।उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने से इस धारणा को बल मिलता है कि वह निर्दोष है।

/

3. बरी किए जाने के आदेश को उलटने के लिए पर्याप्त और बाध्यकारी कारण भी होने चाहिए।

यह न्यायालय उच्च न्यायालय के बरी किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप करना तभी उचित होगा जब उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज करने के लिए बहुत ठोस और बाध्यकारी कारण हों। 28. निम्नलिखित कुछ परिस्थितियाँ हैं जिनमें शायद यह न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित होगा, लेकिन ये उदाहरणात्मक हैं जो संपूर्ण नहीं हैं:

/

5 (2010) 3 एस. सी. सी. 721

/

(i) उच्च न्यायालय का निर्णय तय विधि ी स्थिति की अनदेखी करके विधि के पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण पर आधारित है;

((ख) उच्च न्यायालय के निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य और दस्तावेजों के विपरीत हैं।

(iii) साक्ष्य से निपटने में उच्च न्यायालय का पूरा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था जिससे न्याय की गंभीर विफलता हुई।

/

((iv) उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और अनुचित है जो गलत विधि और मामले के रिकॉर्ड पर तथ्यों पर आधारित है।

/

(v) इस न्यायालय को हमेशा उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को उचित महत्व और विचार देना चाहिए;

(vi) यह न्यायालय किसी मामले में हस्तक्षेप करने में अत्यधिक अनिच्छुक होगा जब सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने बरी करने का आदेश दर्ज किया है। "

/

42. हम यहाँ यू. पी. बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी ध्यान दे सकते हैं।हरिहर बक्स सिंह [(1975) 3 एससीसी 167:1974 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 799] संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के दायरे के संबंध में।यह निम्नलिखित रूप में देखा जाता है:(एस. सी. सी. पी. 170, पैरा 14)

/

“14. संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत एक अपील में, यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करता है, जब तक कि उस निष्कर्ष को साक्ष्य के मूल्यांकन में कुछ स्पष्ट दुर्बलता से दूषित नहीं किया जाता है।यह तथ्य कि अभिलेख पर साक्ष्य पर एक अन्य दृष्टिकोण भी लिया जा सकता था, बरी करने के निर्णय में हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराएगा।वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय में ऐसी कोई कमजोरी नहीं दिखाई गई है जो हमें हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित कर सके।परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। "

/

43. इसी दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा यू. पी. बनाम राज्य के मामले में दोहराया गया है। गोपी [1980 सप एस. सी. सी. 160:1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 630] जिसमें इसे निम्नानुसार मनाया जाता है:(एस. सी. सी. पी. 161, पैरा 2)

/

“2. ... उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण के लिए कुछ कहा जा सकता है और, अगर हम अपील की अदालत के रूप में बैठे थे, तो हमने एक अलग दृष्टिकोण लिया होगा और बयानों को स्वीकार किया होगा

/

पीडब्लू 4 और 6।लेकिन यह उच्च न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण यथोचित रूप से संभव नहीं था। "

(जोर दिया गया) 24।इस मामले में इस न्यायालय की अधिकारिता की सीमाओं को निर्धारित करने के बाद, आइए हम जांच करें कि उच्च न्यायालय के साथ क्या वजन है।

/

25. सबसे पहले, यह कहा गया है कि पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य में भौतिक भिन्नताएँ थीं।जहाँ तक ये भिन्नताएँ हैं, उन्हें निर्णय में नहीं लिया गया है।हालाँकि, हम निम्नलिखित पहलुओं को पाते हैं:

/

क. पीडब्लू1 ने कहा है कि आधे चौथाई से एक घंटे के बाद पुलिसकर्मी घटना स्थल पर आ गए हैं।पुलिस ने मौके पर पंचनामा भर दिया था जो रात में भर गया था।पंचनामा मशाल की रोशनी से भर गया था।दूसरी ओर पीडब्लू2 का कहना है कि शव का पंचनामा अगले दिन सुबह किया गया था।पी. डब्ल्यू. 5-पंचनामा करने वाले पुलिस निरीक्षक ने कहा है कि 23.08.1992 (अगले दिन), घटना स्थल पर, शव का पंचनामा भरने के बाद और पढ़ने के बाद, पंचों के हस्ताक्षर कराए गए।वह इसे तब दोहराता है जब वह कहता है कि वह 22.08.1992 की रात को घटना स्थल पर पहुँच गया था, और अंधेरा होने के कारण, उसी दिन शरीर का पंचनामा नहीं किया जा सका था।शव की सुरक्षा के लिए एक उप-निरीक्षक और पी. ए. सी. तैनात किए गए थे।

/

/

ख. पीडब्लू1 का कहना है कि उसने ईश्वर सिंह से घटना की लिखित रिपोर्ट प्राप्त की थी और पुलिस स्टेशन को दे दी थी।ईश्वर सिंह उसके साथ पुलिस स्टेशन गया।उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखी।पीडब्लू1, उसकी माँ और मामा ने ईश्वर सिंह को घटना के बारे में बताया था। दूसरी ओर, पीडब्लू2 कहता कि पीडब्लू1 के साथ वह भी रिपोर्ट दर्ज कराने गया था।उन्होंने यह भी कहा कि पीडब्लू1 ने ईश्वर सिंह से रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस स्टेशन को दे दी। हालांकि, जिरह में उन्होंने कहा कि पीडब्लू1, उनकी मां और मामा रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पैदल गए थे।पीडब्लू2 भी साइकिल पकड़कर उनके साथ पैदल चला गया था।चार लोग जा चुके थे।पी. डब्ल्यू. 1, इसमें कोई संदेह नहीं है, पी. डब्ल्यू. 2 को अपने साथ होने के रूप में संदर्भित करता है।

/

/

/

356

/

[2019] 14 एस सी आर।

पुलिस स्टेशन तक।पीडब्लू2 ने आगे कहा कि रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में बैठकर लिखी गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पदच्युत किया कि पीडब्लू1 ने रिपोर्ट लिखी थी और पीडब्लू1 शिक्षित है।जैसा कि देखा जा सकता है, पीडब्लू1 के अनुसार, रिपोर्ट ईश्वर सिंह के माध्यम से लिखी गई थी।पीडब्लू2 ने भी अपनी जाँच में वही संस्करण दिया है, लेकिन प्रतिपरीक्षा में, जैसा कि देखा गया है, वह कहता है कि रिपोर्ट पीडब्लू1 द्वारा लिखी गई थी।

/

ग. पीडब्लू1 के अनुसार, ट्रैक्टर की रोशनी जल रही थी।हालाँकि, पीडब्लू2 के अनुसार, बल्ब बंद थे।

घ. पीडब्लू1 के अनुसार, सड़क के दोनों ओर झाड़ियाँ थीं।हालाँकि, पीडब्लू2 का कहना है कि सड़क के पास कोई झाड़ियाँ नहीं थीं, लेकिन वहाँ फसल थी।

/

ई. पीडब्लू1 ने अपदस्थ किया कि वे साइकिल पर पुलिस स्टेशन गए थे।हालाँकि, पीडब्लू2 ने अपदस्थ कर दिया है कि पीडब्लू1, उसकी माँ और पीडब्लू4 रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पैदल गए थे और पीडब्लू2 साइकिल पकड़े हुए उनके साथ पैदल चला गया था।

/

च. मामले के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, अर्थात।, घटना के वास्तविक खुलासा के रूप में, पीडब्लू1 ने कहा है कि रेशम सिंह ने पिस्तौल से गोली चलाई जो उसके पिता की पीठ पर लगी।जब उसके पिता गिर गए तो अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया।सभी आरोपी सामने खड़े थे और तीनों ने गोली चला दी थी।वह आगे बयान देता है कि गोलीबारी सामने से की गई थी।अन्य लोग ट्रैक्टर पर चढ़ गए।ट्रैक्टर की सीट पर ही भाला, तलवार आदि से हमला किया जाता था। कुल तीन गोलियां चलाई गईं।बैलगाड़ी के पास 5 से 7 सीढ़ियों की दूरी से गोलियां चलाई गईं।

/

/

26. पी. डब्ल्यू. 2, जो साइकिल पर आ रहा था, अभियोजन पक्ष के अनुसार, ट्रैक्टर के पीछे और घटना के गवाह थे, ने यह भी बयान दिया है कि रेशम सिंह ने मृतक के पीछे पिस्तौल से गोली चलाई थी।दर्शन सिंह और जागीर सिंह ने सामने से गोलीबारी की।पहलवान सिंह और दिलीप सिंह ने सामने से अन्य हथियारों से हमला किया।जब उन्होंने उन्हें देखा तो सभी आरोपी बैलगाड़ी के पीछे खड़े थे।फिर, वे कहते हैं, रेशम सिंह ने ट्रैक्टर में चढ़ने के बाद पीछे से गोली चलाई थी जो मृतक के पीछे लगी थी।कुल तीन बार आग लगाई गई थी।दलीप सिंह ने आगे से पेट में भाले से हमला किया।वीर सिंह ने सिर पर पीछे से तलवार से हमला किया।

/

/

357

उत्तरखंड राज्य बनाम दर्शन सिंह [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

/

27. ये स्पष्ट रूप से वे भिन्नताएँ हैं जो उच्च न्यायालय को प्रभावित करती प्रतीत होती हैं।

28. उनसे निपटने से पहले, आइए हम उन अन्य पहलुओं पर एक नज़र डालें जो उच्च न्यायालय के साथ जुड़े थे।पी. डब्ल्यू. 2 को सूचना देने वाले से संबंधित गैर-पक्षपातपूर्ण गवाह नहीं पाया गया।पीडब्लू4 पीडब्लू1 का मामा है, जो पीडब्लू1 के अनुसार, उसके साथ ट्रैक्टर में यात्रा कर रहा था।वह शत्रु बन गया है।पी. डब्ल्यू. 4 ने जो पदच्युत किया है, उसका विज्ञापन करना सार्थक हैः

/

“दारोगी ने आई. डी. 1 पर पहलवान सिंह और दर्शन सिंह के छप्पर से मेरे सामने कोई तलवार और पिस्तौल बरामद नहीं की थी।मुझसे पहले कोई घटना नहीं हुई थी।

/

दारोगाजी ने मुझसे इस घटना के बारे में कुछ नहीं पूछा था।धारा 361 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत उनका बयान पढ़ा गया।उन्होंने कहा, मैं इसका कारण नहीं बता सकता कि मेरा ऐसा बयान कैसे दर्ज किया गया।यह कहना गलत है कि आज आरोपी से मिलने के बाद मैं यह बात नहीं कह रहा हूं।

/

घटना के बारे में मुझे सुबह पता चला।कि सिंगारा सिंह की मृत्यु हो चुकी थी।उसका शव खेत में पड़ा हुआ है।स्वर्ण सिंह सुबह रिपोर्ट दर्ज कराने गए।उन्हें सुबह ही पता चला कि सिंगारा सिंह का निधन हो गया है। "

/

29. आगे की परिस्थिति यह है कि आरोपी के घायल होने और गोली चलाने के बाद बैलगाड़ी में भाग जाने की संभावना नहीं है।30. उच्च न्यायालय द्वारा जिस अगली परिस्थिति पर भरोसा किया गया वह यह है कि पीडब्लू1 ने बयान दिया कि ट्रैक्टर की रोशनी चालू थी जबकि पीडब्लू2 ने बयान दिया कि ट्रैक्टर के बल्ब बंद थे।विचारण न्यायालय ने यह तर्क देते हुए इस पर काबू पा लिया है कि अगर बैलगाड़ी रुक रही थी, तो ड्राइवर द्वारा हॉर्न बजाना और लाइट जलाना स्वाभाविक और संभव है।पीडब्लू2 ट्रैक्टर के पीछे साइकिल पर आ रहा था और उसके लिए यह जानना संभव नहीं था कि ट्रैक्टर की बत्तियाँ जल रही थीं या नहीं।किसी भी तरह से, यह अपने आप में महत्वपूर्ण विरोधाभास या परिस्थिति नहीं है जो किसी दोषसिद्धि को उलटने के मामले में विचार के योग्य होगी।31. उच्च न्यायालय द्वारा जिस अगली परिस्थिति पर भरोसा किया गया वह यह है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीडब्लू1, उसकी माँ और पीडब्लू4-उसके चाचा, मृतक के साथ ट्रैक्टर में यात्रा कर रहे थे।वे ट्रैक्टर और मडगार्ड पर बैठे थे।यदि गोलीबारी होती, जैसा कि अभियोजन पक्ष के मामले में अनुमान लगाया गया था, तो उच्च न्यायालय ने यह अस्वाभाविक पाया कि जब गोलीबारी सामने से की जाती है तो इन व्यक्तियों को कोई गोली की चोट नहीं लगती।

/

/

/

32. फिर, हम उन परिस्थितियों पर आते हैं जो नेत्र साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के बीच असंगति से संबंधित हैं।पीडब्लू 1 और 2 दोनों ने पदच्युत किया है कि तीन गोलियां चलाई गई थीं।चिकित्सा साक्ष्य, निस्संदेह, यह दिखाएंगे कि दो गोली की चोटें थीं, अर्थात।, चोट नं.4 और चोट नं।5, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं।बन्दूक के घाव का प्रवेश कंधे की हड्डी से निचले हिस्से की ओर पीठ के बाईं ओर होता है।कोई झुलसा हुआ नहीं मिला।चोट नं.5 सीने के दाहिने तरफ प्रवेश करने पर गोली का घाव था जिससे कॉलरबोन और पसली टूट गई थी।छंटाई करने पर, यह पीछे की ओर और नीचे की ओर जा रहा था।

/

33. पीठ में लगी चोट (चोट संख्या 4) के संबंध में, उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि मुखबिर का मामला यह है कि आरोपी ट्रैक्टर के सामने आया और गाली दी और फिर उन

हथियारों से घायल कर दिया जो वे ले जा रहे थे।न्यायालय ने अभिलेख किया कि विद्वान ए. जी. ए. यह स्वीकार करने के लिए पर्याप्त दयालु था कि चिकित्सा साक्ष्य चश्मदीद गवाह के खाते का समर्थन नहीं करते थे।यह भी पाया गया है कि धारदार हथियारों से लगी चोटें नीचे से ऊपर तक थीं और नीचे तक नहीं थीं, और इसलिए, इस संबंध में भी प्रत्यक्षदर्शी विवरण और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विसंगति थी।उच्च न्यायालय ने आगे तर्क दिया कि यदि पी. डब्ल्यू. 1 को यह माना जाता है कि रेशम सिंह की गोली मृतक के पीछे लगी थी, तो पूर्व शव परीक्षण चोट संख्या के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है।5 जहाँ प्रवेश का घाव छाती के दाईं ओर काला होने और टैटू बनवाने के साथ होता है।चोट नं. के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला।6 3 सेंटीमीटर का कटा हुआ घाव।x 1⁄2 सेमी।निप्पल के पास छाती के दाहिने तरफ।दूसरे शब्दों में, यह पाया गया है कि यदि पीडब्लू1 माना जाता है, तो मृतक के सामने कोई पूर्व-शव परीक्षण चोट नहीं होगी [यह स्पष्ट रूप से एक गलती है]।सामान्य तौर पर, यदि हमलावरों ने सामने से हमला किया है, जैसा कि अभियोजन पक्ष का मामला है, तो चोट एन. ओ. एस. के लिए औचित्य है। 5 और 6.लेकिन चोट संख्या का कोई औचित्य नहीं है।4.उच्च न्यायालय ने आगे तर्क दिया कि यदि अभियोजन पक्ष के गवाह का मानना है कि मृतक को सामने से मारा गया था, तो चोट नं।4 वहाँ नहीं होना चाहिए था।उच्च न्यायालय द्वारा आगे यह उल्लेख किया गया है कि यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि मृतक ट्रैक्टर चलाते समय इस तरह से झुक गया कि गोली उसकी पीठ में लग गई।पी. डब्ल्यू. 2 का यह बयान कि रेशम सिंह ने ट्रैक्टर में कदम रखा और पीछे से गोली चलाई, जो मृतक को लगी, उच्च न्यायालय में एक नया घटनाक्रम दिखाई दिया।पीडब्लू3-डॉक्टर ने अपनी प्रतिपरीक्षा में उस चोट नं.5 यह तब संभव था जब हमलावरों ने पीड़ित को ऊँचाई से मारा हो।चोट सं। 4 संभव था, ए के अनुसार

/

/

/

/

/

/

/

चिकित्सा अधिकारी को, जब हमलावरों ने पीड़ित पर नीचे से गोली चलाई (तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर)।इस आधार पर, उच्च न्यायालय तर्क देता है कि उचित संदेह उत्पन्न होता है कि क्या घटना प्रत्यक्षदर्शी द्वारा दर्शाए गए तरीके से हुई थी।यह पाया गया कि चिकित्सीय साक्ष्य

प्रत्यक्षदर्शी के खाते का समर्थन नहीं करते हैं।इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने यह विचार रखा है कि अभियुक्त बरी होने के योग्य हैं।

/

34. पीडब्लू 1,2 और 4 अभियोजन पक्ष के गवाह हैं जिन्हें घटना का गवाह बताया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि मृतक की मौत एक क्रूर मौत थी।चोटों की प्रकृति हमें इस संबंध में कोई संदेह नहीं छोड़ती है।एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या ये चोटें अभियुक्त के कारण हुई थीं और क्या यह घटना अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा बताए गए तरीके से हुई थी।

/

35. पी. डब्ल्यू. 1 की माँ, जो मृतक के साथ यात्रा कर रही थी, से पूछताछ नहीं की गई है, भले ही उसका बयान लिया गया हो जैसा कि जांच अधिकारी के बयान से साबित होता है।मृतक के पीडब्लू 4-बहनोई, जैसा कि हमने देखा है, शत्रुतापूर्ण हो गए हैं।उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनके सामने ऐसी कोई घटना हुई थी।उन्होंने अपदस्थ कर दिया है कि उन्हें सुबह पता चला कि मृत्यु हो गई है।उन्होंने आगे कहा कि शव खेत में पड़ा था और पीडब्लू1 सुबह रिपोर्ट दर्ज कराने गया था और उसे भी सुबह ही मौत के बारे में पता चला है।उन्होंने आगे कहा कि मृतक की पत्नी और साइकिल सवार, सभी को सुबह घटना के बारे में पता चला और उसके बाद वे रिपोर्ट दर्ज कराने गए।

/

/

36. एफ. आई. आर. में, पी. डब्ल्यू. 1 के बयान के संबंध में स्वयं विचारण न्यायालय ने एक विरोधाभास देखा था।पीडब्लू1 की गवाही में, उन्होंने जागीर सिंह और दिलीप सिंह द्वारा खुलेआम किए गए कृत्यों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि प्राथमिकी में ऐसा नहीं पाया गया है। एफ. आई. आर. में, जो दर्ज किया गया है, वह यह है कि रेशम सिंह ने गोली चलाई जो मृतक की पीठ पर लगी थी।फिर, वह कहता है कि तलवार से पहलवान सिंह, पिस्तौल से दर्शन सिंह और तलवार (कप्पा) से वीर सिंह पर हमला किया गया।एफ. आई. आर. में किसी भी कार्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, जैसा कि वास्तव में पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा दलीप सिंह और जागीर सिंह के खिलाफ न्यायालय में कहा गया है।न्यायालय में पीडब्लू1 ने कहा कि जब उसके पिता गिर गए तो पहलवान सिंह ने तलवार, दर्शन सिंह ने पिस्तौल, वीर सिंह ने तलवार, जागीर सिंह ने पिस्तौल और दिलीप सिंह ने भाले से उसके पिता पर हमला किया।पीडब्लू2 ने जागीर सिंह और दिलीप सिंह को भी फंसाने की कोशिश की है।इस प्रकार, पीडब्लू 1 और 2 के संस्करण के अनुसार, जागीर सिंह और दलीप सिंह की संलिप्तता की प्रकृति, प्राथमिकी में निर्धारित मामले से अलग है।

/

/

/

360

/

[2019] 14 एस सी आर।

37. ध्यान देने योग्य एक अन्य पहलू यह है कि पीडब्लू2 एक पंच गवाह था।पंचनामा, जैसा कि हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं, 23.08.1992 पर आयोजित किया गया था।इस मामले में पहचान को लेकर कोई विवाद नहीं है।दूसरे शब्दों में, अभियुक्त के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि पीडब्लू2 उन्हें नहीं जानता था।इस प्रकार, पी. डब्ल्यू. 2, इसे लिया जाना चाहिए, उन्हें जानते थे।पी. डब्ल्यू. 2 निश्चित रूप से एक पंच गवाह था।हालाँकि, पीडब्लू2 ने किसी भी आरोपी का नाम नहीं लिया है जब 23.08.1992 पर पंचनामा हुआ था।उनके अनुसार, उन्होंने उनके नाम लिए लेकिन पीडब्लू5 कुछ और ही कहता है।विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए इस विसंगति को दूर किया है कि पंचनामा (जांच) आयोजित करने का उद्देश्य इसके भीतर यह नहीं समझेगा कि अपराध किसने किया है।

/

38. यह सच है कि इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि आई. डी. 1 की धारा 174 के अंतर्गत , जैसा कि उक्त प्रावधान में निहित है, पूछताछ करने वाला व्यक्ति, संक्षेप में, इस बारे में जांच करना नहीं है कि आरोपी कौन हैं (इस संबंध में तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ और अन्य 6 में निर्णय देखें)।लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पीडब्लू2 ने जांच अधिकारी के सामने किसी भी आरोपी का नाम उसके साक्ष्य के विपरीत नहीं लिया है जैसा कि अधिकारी के साक्ष्य से साबित होता है।

/

/

39. राज्य द्वारा हमारे समक्ष यह भी दबाव डाला जाता है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा उपयोग किए गए हथियारों की बरामदगी से संबंधित पहलू की अनदेखी की है।पीडब्लू5-जांच अधिकारी ने दर्शन सिंह और पहलवान सिंह से वसूली के बारे में बात की है।दर्शन सिंह के पास से पिस्तौल बरामद की गई।पहलवान सिंह से तलवार बरामद की गई।यह 23.08.1992 पर गिरफ्तारी के अनुसार किया जाता है।28.08.1992 पर रेशम सिंह, दलीप सिंह, वीर सिंह और जागीर सिंह पाए गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।पूछताछ के अनुसार, पीडब्लू5 उनके इस कथन के बारे में बताता है कि उन्होंने 22.08.1992 पर दिलीप सिंह और पहलवान सिंह के साथ हत्या की थी।पीडब्लू5 ने रेशम सिंह से 12 बोर की पिस्तौल, दिलीप

सिंह द्वारा एक भाला और वीर सिंह द्वारा एक तलवार की बरामदगी के बारे में बताया है।वास्तव में, उच्च न्यायालय ने वास्तव में वसूली को स्वीकार नहीं किया है।

/

/

40. अपीलार्थी-राज्य ने आम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (उपर्युक्त) में निर्णय से समर्थन मांगा है। इसमें, इस न्यायालय ने यह विचार लिया कि जब चिकित्सा साक्ष्य बाल गवाह के नेत्र संबंधी संस्करण के साथ पूरी तरह से संघर्ष में नहीं था, तो यह अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होगा।यह एक ऐसा मामला था जिसमें पहले प्रहार की संख्या और हथियार के किस तरफ का उपयोग किया गया था, इस बारे में विसंगतियां थीं।

/

/

6 (2018) 10 एससीसी 498 ए

361

उत्तरखंड राज्य बनाम दर्शन सिंह [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

41. अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 7 में, इस न्यायालय ने चिकित्सा साक्ष्य और नेत्र साक्ष्य के बीच संघर्ष के विषय पर मामले के विधि पर विस्तार से चर्चा कीः

“चिकित्सीय साक्ष्य बनाम नेत्र साक्ष्य 32.राम नारायण सिंह बनाम पंजाब राज्य (1975) 4

/

एससीसी 497:1975 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 571:ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 1727] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां अभियोजन पक्ष के लिए गवाहों का साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य या बैलिस्टिक विशेषज्ञ के साक्ष्य के साथ पूरी तरह से असंगत है, यह अभियोजन मामले में एक मौलिक दोष के बराबर है और जब तक कि उचित रूप से समझाया न जाए, यह पूरे मामले को बदनाम करने के लिए पर्याप्त है।

/

33. हरियाणा राज्य बनाम भागीरथ [(1999) 5 एस. सी. सी. 96:1999 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 658] यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः(एस. सी. सी. पी. 101, पैरा 15)

“15. चिकित्सकीय गवाह द्वारा दी गई राय की आवश्यकता नहीं है।

/

विषय पर अंतिम शब्द हो।इस तरह की राय का न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाएगा।यदि राय तर्क या वस्तुनिष्ठता से रहित है, तो न्यायालय उस राय के अनुसार जाने के लिए बाध्य नहीं है। आखिरकार राय वह है जो किसी तथ्य स्थिति के बारे में किसी व्यक्ति के दिमाग में बनती है। अगर एक डॉक्टर एक राय बनाता है और दूसरा डॉक्टर दूसरी राय बनाता है।

समान तथ्यों पर राय न्यायाधीश के लिए उस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए खुला है जो अधिक उद्देश्यपूर्ण या संभावित है।इसी तरह अगर राय

/

एक डॉक्टर द्वारा दी गई राय संभावना के अनुरूप नहीं है, न्यायालय का उस राय के अनुसार जाने का कोई दायित्व नहीं है क्योंकि यह डॉक्टर द्वारा कहा गया है।बेशक, उन व्यक्तियों द्वारा दी गई राय को उचित महत्व दिया जाना चाहिए जो विशेष विषय में विशेषज्ञ हैं। "

/

(जोर दिया गया) 34।भागीरथ मामला [(1999) 5 एस. सी. सी. 96:1999 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 658], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां चिकित्सीय साक्ष्य नेत्र साक्ष्य से भिन्न है,

“यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्यक्षदर्शियों के खाते को बाहर करने के लिए चिकित्सा गवाहों के काल्पनिक उत्तरों को अनुचित प्रधानता देना गलत होगा, जिसका स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जाना था और चिकित्सा साक्ष्य को 'स्थिर' रखते हुए 'चर' के रूप में नहीं माना जाना था।

/

/

7 (2010) 10 एससीसी 259

362

/

[2019] 14 एस सी आर।

35. जहाँ चश्मदीद गवाहों का विवरण विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, वहाँ वैकल्पिक संभावनाओं की ओर इशारा करने वाली चिकित्सा राय को निर्णायक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।प्रत्यक्षदर्शी के खाते में इसकी विश्वसनीयता के लिए सावधानीपूर्वक स्वतंत्र मूल्यांकन और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जिसे इस तरह की विश्वसनीयता के परीक्षण

के लिए एकमात्र कसौटी के रूप में चिकित्सा साक्ष्य सहित किसी अन्य साक्ष्य के आधार पर प्रतिकूल रूप से पूर्वाग्रहित नहीं किया जाना चाहिए।

/

“21. ... साक्ष्य की अंतर्निहित स्थिरता और कहानी की अंतर्निहित संभावना के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए; अन्य गवाहों के खाते के साथ एकरूपता को विश्वसनीय माना जाना चाहिए; निर्विवाद तथ्यों के साथ एकरूपता, गवाहों का 'श्रेय'; गवाह बॉक्स में उनका प्रदर्शन; उनकी अवलोकन की शक्ति, आदि। फिर ऐसे साक्ष्य का संभाव्य मूल्य संचयी मूल्यांकन के लिए पैमाने में रखे जाने के योग्य हो जाता है। "

/

[वीडियो थमन कुमार बनाम राज्य (चंडीगढ़ का केंद्र शासित प्रदेश) [(2003) 6

एससीसी 380:2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1362] और कृष्णन बनाम राज्य [(2003) 7 एस. सी. सी. 56:2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1577] एस. सी. सी. पीपी. 62-63, पैरा 21 पर।]

/

36. सोलंकी चिमनभाई उकाभाई बनाम गुजरात राज्य

[(1983)2 एससीसी 174:1983 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 379:ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 484] इस न्यायालय ने कहाः(एस. सी. सी. पी. 180, पैरा 13)

“13. आम तौर पर, चिकित्सा साक्ष्य का मूल्य केवल पुष्टि करने वाला होता है।यह साबित करता है कि चोटें कथित तरीके से लगी हो सकती थीं और इससे ज्यादा कुछ नहीं।बचाव पक्ष चिकित्सा साक्ष्य का जो उपयोग कर सकता है, वह यह साबित करने के लिए है कि चोट संभवतः कथित तरीके से नहीं लगी हो सकती थी और इस तरह प्रत्यक्षदर्शियों को बदनाम किया जा सकता था।हालाँकि, जब तक कि चिकित्सा

/

/

अपने बदले में साक्ष्य इस हद तक जाता है कि यह चश्मदीद गवाहों द्वारा आरोप लगाए गए तरीके से होने वाली चोटों की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर देता है, चश्मदीद गवाहों की गवाही को इसके और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कथित असंगति के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। "

/

(जोर दिया गया) 37।मणि राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1994 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 289 में भी ऐसा ही दृष्टिकोण लिया गया है:1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1242], खम्बम राजा रेड्डी बनाम लोक अभियोजक [(2006) 11 एस. सी. सी. 239:(2007) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 431] और उत्तर प्रदेश राज्य बनामदिनेश [(2009) 11 एससीसी 566:(2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1484]

/

363

उत्तरखंड राज्य बनाम दर्शन सिंह [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

/

38. यू. पी. राज्य बनामहरि चंद [(2009) 13 एससीसी 542:(2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1112] इस न्यायालय ने विधि की उपरोक्त स्थिति को दोहराया और कहा कि:(एस. सी. सी. पी. 545, पैरा 13)

“13. ... किसी भी स्थिति में जब तक मौखिक साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के साथ पूरी तरह से अपरिवर्तनीय नहीं है, तब तक इसकी प्रधानता है। "

/

39. इस प्रकार, उन मामलों में जहां चिकित्सा साक्ष्य और नेत्र साक्ष्य के बीच विरोधाभास है, विधि की स्थिति को इस प्रभाव से स्पष्ट किया जा सकता है कि हालांकि एक गवाह की नेत्र साक्ष्य का चिकित्सा साक्ष्य की तुलना में अधिक प्रमाणिक मूल्य है, जब चिकित्सा साक्ष्य नेत्र साक्ष्य को असंभव बनाता है, जो साक्ष्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया में एक प्रासंगिक कारक बन जाता है।हालांकि, जहां चिकित्सा साक्ष्य इतना आगे जाता है कि यह नेत्र साक्ष्य के सच होने की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर देता है, नेत्र साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। "

/

42. कुछ अन्य पहलू भी हैं जो हमें प्रभावित करते हैं।यह घटना कथित तौर पर तब सामने आई जब मृतक पीडब्लू1, उसकी पत्नी और बहनोई (पीडब्लू4) के साथ एक ट्रैक्टर में नानकमट्टा से वापस आ रहे थे।अभियोजन पक्ष का मामला आगे यह है कि आरोपी आगे आए और उन कृत्यों को अंजाम दिया जो उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था।आरोप है कि मृतक के साथ कुछ रिश्तेदार ट्रैक्टर के मडगार्ड पर बैठे थे।अभियोजन पक्ष के लिए एक मामला है कि मृतक ट्रैक्टर से गिर गया जब पीडब्लू1 से पूछा गया कि वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन कैसे गया और क्या उसने ट्रैक्टर लिया था, तो उसका जवाब था कि चूंकि उसके पिता का शव उस पर पड़ा था, इसलिए उन्होंने ट्रैक्टर नहीं लिया और वे पैदल चले गए।इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि शव ट्रैक्टर पर था।दूसरी ओर, पी. डब्ल्यू. 5-जांच अधिकारी ने बयान दिया कि मृतक का शव

सड़क के किनारे धान के खेत में पड़ा था।पीडब्लू5-मूल जांच अधिकारी ट्रैक्टर के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता है।ट्रैक्टर का पता लगाने और इसे सबूत के रूप में उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया था क्योंकि ट्रैक्टर के बारे में विवरण मृतक और अन्य लोगों की स्थिति पर प्रकाश डालता और अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने में मदद करता।पीडब्लू1 के अनुसार, ट्रैक्टर को पीछे छोड़ दिया गया था क्योंकि उस पर शव पड़ा हुआ था।जैसा कि उल्लेख किया गया है, पीडब्लू5 अन्यथा बोलता है और शव सड़क के किनारे धान के खेत में पाया गया था।इसलिए क्या वास्तव में अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए दावे के अनुसार ट्रैक्टर का उपयोग किया गया था?ट्रैक्टर के संबंध में अधिकारी द्वारा की गई किसी भी जांच के संबंध में कोई सबूत नहीं है।ट्रैक्टर की प्रकृति और आकार एक रहस्य बना हुआ है।

/

/

/

/

/

43. हम पहले ही देख चुके हैं कि पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य में विरोधाभास हैं कि रिपोर्ट किसने लिखी थी।क्या पीडब्लू1 ने खुद रिपोर्ट लिखी थी जैसा कि पीडब्लू2 ने अपनी जिरह में दावा किया था या यह ईश्वर सिंह ने लिखी थी, जिन्होंने पीडब्लू1 के अनुसार रिपोर्ट लिखी थी? पीडब्लू 1 और 2 द्वारा दिए गए विरोधाभासी उत्तर हैं जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है।44. एक अन्य पहलू जो हमें प्रभावित करता है वह इस प्रकार हैः

/

पीडब्लू1 के अनुसार, उसकी माँ जो उसके और उसके पिता के साथ यात्रा कर रही थी और जिसने पूरी घटना देखी है, अगर पीडब्लू2 की बात मानी जाए तो माना जाता है कि वह सात से आठ किलोमीटर पैदल चलकर पुलिस स्टेशन गई थी।

/

पीडब्लू1 का दावा है कि उन्होंने, उनकी माँ और उनके मामा (पीडब्लू4) ने ईश्वर सिंह को घटना के बारे में बताया था, और रिपोर्ट लिखने के बाद, पीडब्लू1 ने उनके हस्ताक्षर संलग्न

किए।जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, पीडब्लू4-मामा शत्रुतापूर्ण हो गए हैं।पीडब्लू1 उनके साथ पुलिस स्टेशन जाने वाले पीडब्लू2 के बारे में बात नहीं करता है।दूसरी ओर, पीडब्लू2 ने कहा कि वह भी उनके साथ गया था (साइकिल की सवारी नहीं बल्कि पैदल)।क्या यह संभावना है कि पी. डब्ल्यू. 1 की माँ, जिसने अपने पति की भयानक हत्या देखी है और जो हैरान रह जाएगी, सात से आठ किलोमीटर लंबी यात्रा करेगी या वह अपने पति के शव के पास रहना पसंद नहीं करेगी?उसकी जांच नहीं की गई है।

/

/

45. यदि घटना हुई होती, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अनुमान लगाया गया था, और पीडब्लू1, उसकी माँ और पीडब्लू4, पीडब्लू2 और अन्य साइकिल चालकों के अलावा मृतक के साथ थे, तो क्या वे तुरंत शव को निकटतम अस्पताल नहीं ले जाते?वास्तव में, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि शव दोपहर में 23.08.1992 पर ही अस्पताल पहुंचा था।ये पहलू हमारे मन में संदेह पैदा करते हैं और उच्च न्यायालय के निर्णय को और मजबूत करते हैं।

/

46. जहां तक चोट की बात है तो नं.4 संबंधित है, काफी निर्विवाद रूप से, इसे मृतक द्वारा पीछे की ओर बनाए रखा गया है।चोट का स्थान किसी भी विवाद का विषय नहीं है।मौखिक गवाही और चिकित्सा साक्ष्य दोनों इस तथ्य को स्थापित करते हैं।इस तथ्य के संबंध में, गवाहों के मौखिक संस्करण और विशेषज्ञ की राय के बीच कोई विरोधाभास नहीं है।

/

47. वास्तव में, मौखिक गवाही से ही अभियोजन पक्ष के संस्करण के बारे में संदेह पैदा होता है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, पीडब्लू1 पहले से ही स्पष्ट है जब वह कहता है कि सभी आरोपी सामने आए और तीनों के पास ए था।

/

गोली चला दी।गोलीबारी, पी. डब्ल्यू. 1 विशिष्ट थी, सामने से की गई थी।उनका दावा है कि अन्य लोग ट्रैक्टर पर चढ़ गए।इसका मतलब यह हो सकता है कि जिन लोगों ने गोलीबारी नहीं की थी और जो उनके बयान के अनुसार अन्यथा सशस्त्र थे, वे ट्रैक्टर पर चढ़ गए।अपने पहले के संस्करण में, मुख्य परीक्षा में, वह, दूसरी ओर, कहता है कि जब उसके पिता गिर गए, तो तलवार के साथ पहलवान सिंह, पिस्तौल के साथ दर्शन सिंह, साबरे के साथ वीर सिंह, पिस्तौल

के साथ जागीर सिंह और भाले के साथ दिलीप सिंह ने उसके पिता पर हमला किया।यह अपने आप में एक विरोधाभास को प्रकट करता है।

/

48. पीडब्लू1 ने पदच्युत किया कि ट्रैक्टर की सीट पर ही तलवार, भाला आदि से हमला किया गया था। उसके पिता ट्रैक्टर की सीट पर गिर गए।यदि पीडब्लू1 के संस्करण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह समझाना मुश्किल है कि चोट संख्या।4, अर्थात्।, उसके पिता को पीठ पर गोली लगी हो सकती है।यह तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसमें चिकित्सा साक्ष्य का संकेत शामिल नहीं है क्योंकि यह अभियोजन पक्ष का संस्करण नहीं है जो नं.4 पीछे की ओर नहीं रखा गया था।यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू 1 और 2 के अनुसार, पहली गोली रेशम सिंह ने चलाई थी।पीडब्लू1 का कहना है कि उसने उस पिस्तौल से गोली चलाई जो उसके पिता की पीठ पर लगी थी।अभियोजन पक्ष के बयान के अनुसार, मृतक ट्रैक्टर चला रहा था।हम पहले से ही ट्रैक्टर के विवरण की अनुपलब्धता को देख चुके हैं।संयोग से, पीडब्लू1 ट्रैक्टर की संख्या 1815 देता है।

/

/

49. वास्तविक विरोधाभास पी. डब्ल्यू. 2 की गवाही के रूप में आता है।पीडब्लू2 का कहना है कि रेशम सिंह ने ट्रैक्टर में चढ़ने के बाद पीछे से गोली चलाई, जो मृतक के पीछे लगी थी, जबकि पीडब्लू1 ने बयान दिया है कि सभी आरोपी सामने खड़े थे और तीनों ने गोली चलाई थी।यह एक विसंगति है जो मामले की जड़ तक जाती है।यदि पीडब्लू1 के उअंतर्गत ोक्त संस्करण अंतर्गत विश्वास किया जाए, तो यह पीडब्लू2 का निक्षेपण है जो बादल के नीचे आता है।इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चोट नहीं।4, अर्थात्।, पीठ पर गोली की चोट अस्पष्ट बनी हुई है।इसके लिए, हमें चिकित्सा साक्ष्य की सामग्री में जाने की आवश्यकता नहीं है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि चिकित्सा साक्ष्य भी चोट नं.4 मृतक द्वारा उसकी पीठ की ओर बनाए रखा जा रहा है।

/

/

50. हम पहले ही देख चुके हैं कि पीडब्लू2 ने शुरू में कहा है कि पीडब्लू1 को ईश्वर सिंह द्वारा लिखी गई रिपोर्ट मिली है।हमने आगे देखा है कि पीडब्लू1 के साक्ष्य के विपरीत कि शव का पंचनामा (पूछताछ) उसी रात मशाल की रोशनी में किया गया था, पीडब्लू 2 और 5 दोनों ने अपदस्थ किया है कि पंचनामा केवल अगली सुबह किया गया था।पीडब्लू2 ने यह रुख अपनाया है कि उसने पूछताछ के समय अभियुक्तों के नाम बताए थे।इस बात पर ज्यादा विवाद नहीं है कि पूछताछ

/

/

366

/

[2019] 14 एस सी आर।

इस संबंध में उसे बर्दाश्त नहीं करता है।पीडब्लू2 ने अपदस्थ किया है कि रेशम सिंह ने ट्रैक्टर में चढ़ने के बाद पीछे से गोली चलाई थी जो मृतक के पीछे लगी थी।दूसरी ओर, पीडब्लू1 ने कहा है कि बैलगाड़ी के पास पांच से सात सीढ़ियों की दूरी से गोलियां चलाई गईं।यहां तक कि विचारण न्यायालय ने जो स्वीकार किया है, उसके आधार पर भी कार्यवाही करना।, बैलगाड़ी के करीब पांच से सात कदमों को बैलगाड़ी के चारों ओर पांच से सात कदमों के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, लेकिन यह बैलगाड़ी से दूर होगा, और इसलिए, ट्रैक्टर के पास, पीडब्लू1 के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि रेशम सिंह ने ट्रैक्टर में चढ़ने के बाद गोली चलाई है, इस प्रकार, मृतक के पीछे मारा गया है।पीडब्लू2 दलीप सिंह द्वारा भाले से हमला करने और वीर सिंह द्वारा सिर पर पीछे से तलवार से हमला करने के बारे में बताता है।उल्लेखनीय है कि प्राथमिकी में कहा गया है कि रेशम सिंह ने गोली चलाई थी जो उसके पिता की पीठ पर लगी थी।पहलवान सिंह पर तलवार, दर्शन सिंह पर पिस्तौल और वीर सिंह पर तलवार से हमला किया गया।एफ. आई. आर. में दलीप सिंह और जागीर सिंह की कोई भूमिका नहीं बताई गई है, जबकि जब सबूत खोले गए, तो पी. डब्ल्यू. 1 ने विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्यों के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया है।जबकि एक एफ. आई. आर. में जो कुछ भी हुआ उसका विश्वकोश नहीं होना चाहिए, दिलीप सिंह और जागीर सिंह के सामने वास्तविक खुले कृत्यों का उल्लेख करने में चूक, संस्करण के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है।

/

/

/

51. पीडब्लू2 ने यह भी कहा कि उन्होंने ट्रैक्टर को मौके पर ही छोड़ दिया था और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं ले गए थे क्योंकि उस पर शव था।दूसरी ओर, पीडब्लू5 के अनुसार, शव का स्थान धान भरा हुआ है।ट्रैक्टर को पीडब्लू5 द्वारा संदर्भित नहीं किया जाता है।

/

52. जहाँ तक गोली लगने और हमला होने पर मृतक के गिरने के संबंध में, पीडब्लू5 का कहना है कि पीडब्लू1 ने उसे कुछ नहीं बताया (जाहिरा तौर पर, मृतक के गिरने के तथ्य के बारे में 161 के बयान में)।53. बैलगाड़ी को अधिकारी ने अपने कब्जे में नहीं लिया था।54. अगला पहलू बयानों के आधार पर अभियुक्त द्वारा की गई बरामदगी के बारे में है।पीडब्लू5 ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार कहा है:"दर्शन सिंह ने बताया था कि जिस पिस्तौल से मैंने गोली चलाई थी, जिसे पहलवान सिंह के घर में भूसे (भूसा) के ढेर में छिपा कर रखा गया है, वह निकालने के बाद दे सकती है और पहलवान सिंह ने बताया कि जिस तलवार से मैंने सिंगारा सिंह को मारा था।जो मैंने अपने घर के पास भूसे (भूसा) के ढेर में छिपा रखा है, वह बाहर निकालने के बाद दे सकता हूं।हम लोग अभियुक्तों के साथ गए और अभियुक्तों में से पहलवान सिंह ने एक तलवार ए दी थी।

/

/

/

अपने घर के पास भूसे के ढेर से और दर्शन सिंह ने एक पिस्तौल 12 बोर निकालकर कहा था कि यह वह पिस्तौल और तलवार है जिसका उपयोग सिंघारा सिंह की हत्या में किया गया था। "55. पीडब्लू5 ने रेशम सिंह, दिलीप सिंह और वीर सिंह से हुई वसूली के बारे में बात की है। पी. डब्ल्यू. 5 के अनुसार रेशम सिंह द्वारा दिए गए बयान के आधार पर एक पिस्तौल की बरामदगी की गई; दिलीप सिंह द्वारा दिए गए बयान के आधार पर भाला और वीर सिंह द्वारा दिए गए बयान के आधार पर कृपाण बरामद किया गया।

/

56. पुनर्प्राप्ति को प्रभावित करने के तरीके का वर्णन पीडब्लू5 द्वारा निम्नलिखित शब्दों में किया गया है:

/

"पूर्व में। का 12 दर्शन सिंह और पहलवान सिंह ने बताया कि हम तलवार और पिस्तौल दे सकते हैं जो पहलवान सिंह के घर के पास छिपी हुई है।आरोपी आगे बढ़ गया और चैपर के पास चला गया।पहलवान सिंह और दर्शन सिंह की बरामदगी का केवल एक ज्ञापन है।इस ज्ञापन को तैयार करने से पहले, अभियुक्तों के बयान अलग कागज पर दर्ज नहीं किए गए थे।इसी तरह आरोपी रेशम सिंह, दलीप सिंह और वीर सिंह का ज्ञापन भी एक है और अलग से कहीं भी नोट नहीं किया गया है।लेकिन तीनों ने कहा कि हम जाने के बाद दे सकते हैं और तीनों आरोपी आगे

बढ़ गए और बरामदगी के स्थान पर ले गए।" एफ. एस. एल. रिपोर्ट में पाया गया है कि गोली (जाहिरा तौर पर घटनास्थल से बरामद) 12 बोर की पिस्तौल संख्या से चलाई गई है।1/69, हमारे लिए यह अभिनिर्धारित करना पर्याप्त नहीं होगा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष का संस्करण स्थापित है और वह भी बरी किए जाने के खिलाफ अपील में।आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष तभी सफल हो सकता है जब आरोपी के अपराध को घर लाया जाए।हो सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया हो, यह मुश्किल से पर्याप्त है।अभियोजन पक्ष के मामले को स्थापित किया जाना चाहिए जैसा कि बनाया जाना चाहिए।

/

/

/

57. साक्ष्य की स्थिति में, इस मामले में अन्यथा, विशेष रूप से सीमित अधिकारिता की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश का प्रयोग करता है, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का मामला नहीं बनाया है।परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं।

/

अंकित ज्ञान

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

/